रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2007 (अग्रहायण 3, 1929)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2007 (AGRAHAYANA 3, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

केनरा बैंक

बेंगलूर, दिनांक 25 सितम्बर 2007

सं. काविकाप्र/10475/078/वीआरआर--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) ये विनियम केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2007 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 5 में :

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के अंतर्गत, परंतुक के पश्चात् एवं टिप्पणी के पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु, जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान/अवरोध वेतन-वृद्धि/वेतनवृद्धियों में ऐसी वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी।"

(ख) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण के खंड (घ) में, टिप्पणी (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

"(iii) जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है, वह व्यावसायिक अर्हता भुगतान उपर्युक्त के अनुसार, का पात्र नहीं होगा।"

एन. एस. श्रीनाथ
महा प्रबंधक

नोट : प्रमुख विनियमावली के आशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांकित
1	15	09.04.1988
2	15	14.04.1990
3	42	19.10.1996
4	49	07.12.2002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 2007

संख्या ए-28/11/6/96-स्था. 6 (दक्षिणी जोन) : क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खंड (21) तथा उप धारा (2क) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क.रा.बी.नि. एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

क.रा.बी.नि. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियम 2006

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) ये विनियम "क.रा.बी.नि. यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन भत्ता विनियम - 2006" कहे जायेंगे ।

ये विनियम 01.10.2007 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34);अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "निगम" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से निगम के महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियुक्त किया गया है या वह निगम की नफरी में कर्मचारी कर्मचारीवृन्द संवर्ग में है;

(च) "माह" से कैलेन्डर माह अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा" से निगम के अधीन सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "स्थायी समिति" से स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(झ) इसके बाद प्रयुक्त किए गये किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी के वही अर्थ होंगे जो तत्संबंधी केन्द्र सरकार के सेवकों के लिए लागू नियमों में दिए गए हैं ।

3. दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए दौरे, स्थानान्तरण तथा दौरे पर यात्रा की पात्रता के लिए वर्गीकरण संबंधित कार्मिक द्वारा वास्तव में धारित पद के वेतनमान से निश्चित किया जा सकेगा । अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान स्थायी समिति/क.रा.बी.नि. द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार होंगे ।

4. **क. आवासीय व्यय की प्रतिपूर्ति :-**

दौरे पर, होटल के कमरों-आवास भाड़े की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से होगी :-

क्र.सं.	**अधिकारी-श्रेणी**	**दौरे में प्रतिदिन वास्तविक आधार पर स्वीकार्य आवास-व्यय**	
		भारत सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए वर्गीकृत स्टेशन यथा - क -1 क, ख-1, ख-2 (रुपयों में) (क)	**अन्य सभी नगर (रुपयों में) (ख)**
1.	महानिदेशक	होटल अशोक दिल्ली में आई.टी.डी.सी. होटल दरें या किसी भी होटल में 9,000/- रुपये से अनधिक	वास्तविक खर्च
2.	निगम के प्रधान अधिकारी यथा : वित्त आयुक्त/ बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त	6,300/- रुपये	4,400/- रुपये
3.	अपर आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी 18400-22400/- रु. 16,400-20,000/- रु. तथा 14,300-18,300/- रु.	4,400/- रुपये	3,200/- रुपये
4.	क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक तथा 12,000-16,500/- रु., 10,000-15,200/- रु. वेतनमान के समकक्ष अधिकारी	3,200/- रुपये	2,200/- रुपये
5.	उप निदेशक/सहायक निदेशक 8,000-13,500/- रु., 6,500-10,500/- रु.	2,200/- रुपये	1,600/- रुपये

2) आवास भाड़े के दावे वाऊचर द्वारा समर्थित हों । वाऊचर के बिना कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा । दौरे पर, उपरिलिखित अनुसार परिशोधित कमरे किराये के अलावा यदि अधिकारियों द्वारा राज्य/केन्द्रीय/व्यय/विलासिता कर आदि का भुगतान किया गया है तो उसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

3) व्यय को न्यूनतम रखने के लिए निगम देश भर में अनेक स्तरों पर अधिकारियों के लिए होटल आवास आरक्षित करने हेतु प्रतियोगी दरों पर एक या अधिक उपयुक्त एजेन्सी(यों) से केन्द्रीकृत टाई-अप व्यवस्था करेगा ।

4) यदि किसी स्थान पर तत्पश्चात दरों होटल दरों में वृद्धि हो जाती है तो महानिदेशक किसी वैयक्तिक मामले में निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक व्यय की अनुमति दे सकेंगे ।

ख. क.रा.बी. निगम के अधिकारियों को देय दैनिक भत्ता

क्र.सं.	अधिकारियों की श्रेणी	भारत सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए वर्गीकृत स्टेशन यथा क-1, क, ख-1, ख-2 (रुपयों में) (क)	अन्य सभी नगर (रुपयों में) (ख)
1.	महानिदेशक	375	325
2.	निगम के प्रधान अधिकारी यथा-वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त	350	315
3.	निम्नलिखित वेतनमान के अधिकारी :18400-22400/- रु., 16400-20000/- रु. तथा 14300-18300 रुपये	315	225
4.	निम्नलिखित वेतनमान के अधिकारी : 12000-16500/- रु. तथा 10000-15200/- रु.	260	225
5.	निम्नलिखित वेतनमान के अधिकारी :8000-13500/- रु. तथा 6500-10500/- रु.	225	175

ग. ग्रुप-ग और ग्रुप-घ कर्मचारियों के दौरे पर रहने की स्थिति में भोजन और आवास व्यय के लिए दैनिक भत्ता

क्र.सं.	अधिकारियों की श्रेणी	दैनिक भत्ता	
		भारत सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए वर्गीकृत स्टेशन यथा - क1, क, ख-1 तथा ख-2 (रुपयों में)	अन्य सभी नगर (रुपयों में)
1.	बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-2/ अधीक्षक तथा समान वेतनमान के अधिकारी	210	160
2.	अन्य सभी ग्रुप ग के कर्मचारी	150	130
3.	सभी ग्रुप घ के कर्मचारी	100	75

घ. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ग्रुप-ग तथा ग्रुप-घ कर्मचारियों के वर्ग के लिए समेकित दैनिक भत्ता (होटल आवास सहित)

क्र.सं.	अधिकारियों की श्रेणी	दैनिक भत्ता	
		भारत सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता प्रयोजन के लिए वर्गीकृत स्टेशन यथा - क1, क, ख-1 तथा ख-2 (रुपयों में)	अन्य सभी नगर (रुपयों में)
1.	बीमा निरीक्षक तथा समकक्ष	450	360
2.	अन्य सभी ग्रुप ग के कर्मचारी	330	260
3.	सभी ग्रुप घ के कर्मचारी	215	160

ङ. तैनाती स्थान से दौरे के लिए अपनी कार/टैक्सी का प्रयोग

मार्ग भत्ते की दरें किसी राज्य विशेष के महानगरों में लागू दरों के आधार पर निर्धारित की जाएँ और यदि दरें निर्धारित नहीं की गई हैं तब पड़ोसी राज्य की दरों को अंगीकार किया जाए किन्तु जहाँ ऐसी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं वहाँ निम्नलिखित मार्ग भत्ता दर इस शर्त के अधीन निर्धारित की जाए जो कि समय-समय पर पूरक नियम 46 के उपबंधों के अधीन पात्रता की शर्त के अधीन यात्रा भत्ता दावों को विनियमित करने हेतु जारी आदेशों के अनुसार शासित होती हैं । अपनी कार से की गई यात्रा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही की जा सकेगी अर्थात् वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त

1. अपनी कार/टैक्सी से यात्रा करने पर 10/- रुपये प्रति कि.मी.
2. ऑटो रिक्शा/स्कूटर से यात्रा करने पर 5/- रुपये प्रति कि.मी.

च. स्थानांतरण पर निजी सामान का परिवहन

अन्तरक्षेत्रीय स्थानांतरण के मामलों में कर्मचारी को देय वास्तविक परिवहन व्यय में लागत के साथ निजी सामान तथा सवारी भाड़ा शामिल होंगे तथा उसमें पैकिंग खर्च, बीमा, लदाई (लोडिंग)-उतराई (अनलोडिंग) तथा आने-जाने के दौरान ऐसे सामान तथा सवारी पर ली जाने वाली सांविधिक उगाही सम्मिलित होगी । अन्तरक्षेत्रीय स्थानांतरण जनहित में होने की स्थिति में अधिकारी अपनी स्वेच्छा से अपने सामान/सवारी को अधिकृत संचलकों/पैकरों द्वारा या रेल से ले जा सकता है ।

स्थानांतरित कार्मिक के निजी सामान को ले जाने वाले संचलक तथा पैकर सामान्य वित्त नियमों के अधीन सामान्य क्रय-प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अधिकृत संचलक तथा पैकर क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किए जाएंगे तथा गंतव्य स्थान पर पैकिंग, लदाई, संचलन, उतराई तथा सामान की सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार होंगे । वे प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल निगम के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे ।

पूरक नियम के उपबंधों के अनुसार शासित समय-समय पर यथा संशोधित वजन आदि का प्रतिबंध जारी रहेगा ।

5. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते से संबंधित अन्य सभी मामले जिनका ऊपर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वे भारत सरकार के नियमों तथा आदेशों द्वारा तब तक शासित होते रहेंगे जब तक कि निगम द्वारा इस बारे में अलग से विनियम नहीं बनाए जाते हैं ।

6. यदि इन विनियमों के निर्वचन में कोई संदेह हो तो मामला महानिदेशक को भेजा जाए या महानिदेशक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को भेजा जाए और महानिदेशक का आदेश अन्तिम होगा ।

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
महानिदेशक

दिनांक 2 नवम्बर 2007

संख्या : ए-12(11) 1/2005-स्था.। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप धारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा(1) और धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम(भर्ती) विनियम, 1995, जहां तक वे कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद से संबंधित हैं का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गये कार्यों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-**

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती विनियम, 2007 कहे जायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान:-**
पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:-**
भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में उल्लिखित अनुसार होंगे ।

4. निरर्हता:-

ऐसा कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियमों से छूट दे सकते हैं ।

5. ढील देने की शक्ति:-

जहाँ क.रा.बी. निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वे आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अवशिष्ट मामले:-

इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, निगम में पदों की तदनुरूपी श्रेणी पर लागू कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में उल्लिखित सभी अन्य विनियम और शर्तें इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पद पर लागू होंगी ।

7. अपवाद:-

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम,1972 के नियम-30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है ।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	54* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप 'ग' लिपिकीय	5500-175-9000/-रु.	लागू नहीं	नहीं	28 वर्ष से अनधिक (नियमों तथा आदेशों के अनुसार क.रा.बी.निगम तथा सरकारी कर्मचारियों लिए ढील दी जा सकती है) टिप्पणी: आयु सीमा निश्चित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीती जिला और चम्बा जिले का पंगी उप-प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती/ पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ।	परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मुख्य विषय (इसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द भी शामिल हैं) के रूप में हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ स्नातक डिग्री	लागू नहीं	2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	ग्रुप "ग" स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. अपर आयुक्त(का. एवं प्रशा.) क.रा.बी.नि. -अध्यक्ष 2. क.रा.बी.नि का 10000-325-15200/-रुपये वेतनमान का कोई अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2007

संख्या : यू.16/53/2002 चि.2(गुजरात) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

	डॉक्टर का नाम	**अवधि**	**केन्द्र का नाम**
1.	डॉ.जे.एम. दोषी	29.10.2007 से 28.10.2008तक	दरियापुर

(डॉ) कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 5 नवम्बर 2007

संख्या : यू-16/53/2000-चि.2(म.प्र.) : कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (म.प्र.) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा

मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1.	डॉ. कमलेश जैन	16.10.2007 से 15.10.2008 तक	ग्वालियर

(डॉ) कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2007

संख्याः एन-15/13/1/5/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 अगस्त, 2007** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-**1955** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात :-

"आन्ध्र प्रदेश राज्य के कडपा जिले में स्थित जम्मलमडुगु मण्डल के अन्तर्गत जम्मलमडुगु नगर पालिका के सीमा के अन्तर्गत सभी क्षेत्र एं मोरगूडि राजस्व गाँव ।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्याः एन-15/13/1/3/2007-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 अक्तूबर, 2007** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-**1955** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाऐंगे, अर्थात :-

"आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मम्बट्टू ग्रड्डागुण्टा, अंडगुण्डला तथा टाड़ा (मंडल) में कोण्डुरू एवं सुल्लुरपेट (मंडल) में कोटापोलुरू के राजस्व गाँवों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र "

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

न्यासी, भारतीय खाद्य निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 2007

सीपीएफ. V/21(3)/2005

भारतीय खाद्य निगम अंशदायी भविष्य निधि विनियम 1967 के विनियम 5 में निहित प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, निगम की अंशदायी भविष्य निधि को संचालित करने के लिए न्यासी मंडल में निम्नलिखित प्रतिनिधियों को अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष नामित करते हैं :-

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम, श्री/सुश्री	कार्यालय का नाम जहां कार्यरत हो
1.	जे.एस. तुली, सहायक महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)	भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
2	एन. सुन्दरराजन, प्रबंधक (गुण नियंत्रण)	भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
3.	आर.एस. नायक, प्रबंधक (डिपो)	भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (पश्चिम), मुम्बई
4.	आर.के. नय्यर, प्रबधक (लेखा)	भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर), नोएडा
5.	विनोद कुमार वर्मा, प्रबंधक (डिपो)	भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
6.	आर.एन. दास, सहायक सचिव	एफसीआई वर्कर्स यूनियन, 58/1, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता
7.	पी.के. नायक, संगठन सचिव	एफसीआई वर्कर्स यूनियन, 8585, आरा कशा रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055
8.	श्रवण पहलवान, संयुक्त सचिव	भाखानि (हैंडलिंग), वर्कर्स यूनियन, 8654, आरा कशा रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली - 110055. एफएसडी (नरेला), दिल्ली

अमित रुज

उप महाप्रबंधक (अं. भ. नि.)

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 12 नवम्बर 2007

सूचना

सं. के.भ.नि./III-49/ईडीसी-2007/बीएण्डसी--केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड (ई) में विनिर्दिष्ट सहकारी समितियों की अंशधारियों की श्रेणी से दिनांक 31.10.2007 को विधिवत् निर्वाचित निदेशक का नाम एवं पता नीचे दिया गया है। वे इस पद पर 31.10.2007 (अपराह्न) से 3 वर्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं :--

अंशधारियों की श्रेणी	निर्वाचित निदेशक का नाम व पता
सहकारी समितियाँ	श्री वीरेन्द्र सिंह, दी वैस्ट सबर्बन ग्रोसर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि., ए-3, लिबर्टी शापिंग सैन्टर, 10-सी, हिल रोड, बान्द्रा मुम्बई-400 050

ए. वी. जवाकर

सचिव

केन्द्रीय भण्डारण निगम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्च शिक्षा विभाग)
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अगस्त 2007

पत्र संख्या एफ 27-12/2000 डेस्क (यू) तिथि 3 अगस्त 2007 द्वारा निम्नलिखित अध्यादेशों के ढाँचों का अनुमोदन सूचित किया गया है।

1. हैदराबाद एवं दरभंगा में मॉडल स्कूलों की स्थापना
2. हैदराबाद, दरभंगा तथा बैंगलोर में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निबन्धन अधिनियम 1996 (1997 की संख्या-2) की धारा 43 के अनुसार ये अध्यादेश कार्यालयी राजपत्र में प्रकाशित होंगे तथा संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाएँगे।

अध्यादेश

मॉडल स्कूलों की स्थापना

[अधिनियम, (xxviii), 5 एस.27 (के)]

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 (1997 के संख्या-2), में निहित अधिकारों के प्रयोग के अधीन धारा 5 (xxviii) तथा एस 27 (के) के तहत मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है।

प्रारंभ

विश्वविद्यालय की अधिसूचना की तिथि से

अध्यादेश का उद्देश्य

इस अध्यादेश का उद्देश्य विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूलों की स्थापना करना, इस विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों के मूल आधार का विकास करना है। वे उर्दू की तरक्की और विस्तार के लिए तथा शिक्षा आवश्यक निरंतरता लाने के लिए आधार का कार्य करेंगे। ये मॉडल स्कूल उर्दू माध्यम द्वारा प्राथमिक स्तर से जूरियर कॉलेज तक शिक्षा प्रदान करेंगे। पहले चरण में विश्वविद्यालय हैदराबाद तथा दरभंगा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुति लेकर मॉडल स्कूलों की स्थापना करेगा संस्तुति द्वारा देश के अन्य स्थान पर भी खो खोलेगा ।

संस्थान का उद्देश्य

नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नमूने पर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। ये स्कूल विश्वविद्यालय के लिए फीडर चानल के रूप में कार्य करेंगे।

शुल्क	:	शुल्क केन्द्रीय विद्यालय के नमूने पर विद्या परिषद् के अनुमोदन के अनुसार रहेगी।
स्थान आरक्षण	:	भारत सरकार नियमानुसार
प्रवेश प्रक्रिया	:	केन्द्रीय विद्यालय के नमूने के अनुसार विद्या परिषद् के अनुमोदन से।

सत्र का आरंभ : प्रतिवर्ष 12 जून से सत्र का आरम्भ होगा।

पाठ्य विवरण : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार के अनुसार

परीक्षा : 7 वीं कक्षा के पश्चात् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार वार्षिक परीक्षाओं का संचालन करेंगे।

अध्यादेश

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

अधिनियम, एस 27 (के)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 (1997 के संख्या-2) में अधिकारों के प्रयोग के अधीन धारा 27 (के) के तहत व्यावसासियक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए यह अध्यादेश ज़ारी किया गया है।

प्रारंभ विश्वविद्यालय की अधिसूचना के दिनांक से।

अध्यादेश का उद्देश्य

इस अध्यादेश का उद्देश्य उर्दू माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रामें की व्यवस्था करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना है। ऐसे व्यवसाय जिनमें नौकरी की संभावना तथा/या स्वरोज़गार प्रदान किया जायेगा। संस्थान को पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार पोषित करेगा। प्रारंभ में ये संस्थान हैदराबाद, दरभंगा तथा बैंगलोर एवं अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदन अनुसार स्थापित होंगे।

संस्थान का उद्देश्य ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण देना जिनमें नौकरी की संभावना हो। प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी पाने के लिए उनका मार्ग दर्शन तथा उनकी सहायता करना।

प्रशिक्षण की अवधि : प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि भारत सरकार के प्रतिमानक, व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) के अनुसार होगी।

शुल्क : शिक्षा तथा प्रवेश शुल्क देय नहीं है। प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को जमानत राशि रु.60 देय होगी।

योग्यता तथा प्रवेश : शैक्षिक योग्यता व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के अनुसार 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तक विभिन्न व्यवसायों के अनुसार होगी।

आयु : इन संस्थानों के प्रवेश सत्र में 14 से 40 वर्ष तक की आयु वाले योग्य हैं।

आयु में छूट

1. भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 वर्ष तक आयु सीमा में छूट अनुमेय है।
2. युद्ध के कारण हुई विधवाओं के लिए 45 वर्ष तक आयु सीमा में छूट अनुमेय है।
3. विधवाओं/परित्यक्ता महिलाओं के लिए सी.टी.एस. के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु 45 वर्ष तक आयु सीमा में छूट है।
4. शारीरिक अक्षम उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है तथा प्रवेश सत्र के आरम्भ होने तक 45 वर्ष रखी गई है।

स्थान आरक्षण

व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) के प्रतिमानकों के अनुसार होगा।

प्रवेश प्रक्रिया

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश व्यवसाय की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) के प्रतिमानकों के अनुसार केवल उम्मीदवार के द्वारा उनके भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा। जहाँ कहीं भी न्यूनतम योग्यता का आधार सार्वजनिक परीक्षा में हो, वहाँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रत्येक सत्र के आरम्भ से बहुत पहले ही हो जाएगा, जहाँ तक हो सके, सत्र के आरम्भ तक प्रवेश संपन्न करेंगे। अगर आवश्यक हुआ तो सत्रारंभ के पश्चात् भी प्रवेश चलता रहेगा। लेकिन यह ज़रूरी है कि 2 वर्षों के पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया सत्रारंभ के पश्चात् एक माह से अधिक न हो तथा 1 वर्ष के पाठ्यक्रम प्रवेश की प्रक्रिया सत्रारंभ के पश्चात् 15 दिन से अधिक न हो।

सत्र का आरम्भ	:	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs/VTCs व्यवसाय प्रशिक्षण के केन्द्रों में सत्र का आरम्भ प्रत्येक वर्ष एक अगस्त से होगा।
पाठ्य विवरण	:	व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) के प्रतिमानकों के अनुसार होगा।
परीक्षा	:	व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करेगी अथवा वार्षिक पाठ्यक्रम के सत्रांत में व्यवसाय प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् (NCVT) अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र जारी करेगी।

कुलाध्यक्ष की अनुमति से संशोधित प्रत्येक पत्र के सामने सूचित विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कानून --

से संशोधित	मानव संसाधन विकास मंत्रालय पत्र संख्या तथा दिनांक
कानून संख्या 23	फाइल. 27-5/2007-डेस्क (यू.) तिथि 12 जून 2007
कानून संख्या 39	फाइल. 27-4/2005-डेस्क (यू.) तिथि 5 सितम्बर 2007

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निबन्धन अधिनियम 1996 (1997 की संख्या-2) की धारा 43 के अनुसार ये कानून कार्यालयी राजपत्र में प्रकाशित होंगे तथा संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाएंगे।

23 वें कानून का संशोधन

वर्तमान	संशोधन सुझाव	संशोधन के पश्चात ऐसे पढ़ें	संशोधन के कारण
शिक्षकों की आचार संहिता तथा उनके निबन्धन और प्रतिबन्ध आदि 23 (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में परिनियमों अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।	4. 15-3-2007 के पश्चात् मंज़ूर हुए सभी नियमित शिक्षक पदों के व्यक्तियों के लिए अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष है। इसके पश्चात् सेवावधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। लेकिन विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्रदत्त किया है कि किसी भी सेवानिवृत्त शिक्षक को गरिष्ठ 70 वर्षों तक पुनः रोज़गार दे सकती है।	शिक्षकों की आचार संहिता तथा उनके निबन्धन और प्रतिबन्ध आदि। 23 (1) विश्वविद्यालय के सभी- शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।	भारत सरकार के निर्णय को दृष्टि में रख कर तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1-19/2006-यू-II दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा संप्रेषित शिक्षक पदों के लिए अधिवर्षिता आयु 62 से 65 के रूप में बढ़ोत्तरी उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के केन्द्र द्वारा पोषित संस्थानों में लागू होगी।
2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा प्रारूप अध्यादेशों द्वारा निहित किया जाएगा।		(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा प्रारूप अध्यादेशों द्वारा निहित किया जाएगा।	

3. खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जाएगी।		(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जाएगी।	
4. सभी शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष है। इसके पश्चात् सेवावधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं लेकिन विश्वविद्यालय के लिए यह छूट है कि वह चाहे तो अधिवर्षिता आयु 65 वर्षों तक शिक्षक कोपुनः रोज़गार दे सकती है।		(4) 15-3-2007 के पश्चात् मंजूर हुए सभी नियमित शिक्षक पदों के व्यक्तियों के लिए अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष है। इसके पश्चात् सेवावधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। लेकिन विश्वविद्यालय के लिए यह छूट है कि वह चाहे तो अधिवर्षिता आयु 70 वर्षों तक शिक्षक को पुनः रोज़गार दे सकती है।	

39 वें कानून का संशोधन

वर्त्तमान	संशोधन सुझाव	संशोधन के पश्चात ऐसे पढ़ें
39. वर्तमान में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित स्कूल, विभाग, निदेशालय तथा केन्द्र हैं जिनके नाम हैं -	39. क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत जोड़ना क्रम संख्या 9 में क्षेत्रीय केन्द्र रांची (झारखण्ड)	39. वर्तमान में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निकाय , विभाग, निदेशालय तथा केन्द्र है, जिनके नाम हैं -
अध्ययन निकाय		अध्ययन का निकाय
1. भाषा, भाषाविज्ञान तथा इंडोलॉजी निकाय		1. भाषा तथा भाषाविज्ञान तथा इंडोलॉजी निकाय
2. वाणिज्य तथा व्यापार प्रबंधन निकाय		2. वाणिज्य तथा व्यापार प्रबंधन निकाय
3. पत्रकारिता तथा जनसंचार निकाय		3. पत्रकारिता तथा जनसंचार निकाय
4. कला तथा सामाजिक विज्ञान निकाय		4. कला तथा सामाजिक विज्ञान निकाय
5. विज्ञान का निकाय		5. विज्ञान निकाय
		6. शिक्षा तथा प्रशिक्षण निकाय
6. शिक्षा तथा प्रशिक्षण निकाय		
अध्ययन विभाग		अध्ययन विभाग
1. उर्दू, फारसी तथा अरबी विभाग		1. उर्दू, फारसी तथा अरबी विभाग
2. अंग्रेज़ी विभाग		2. अंग्रेज़ी विभाग
3. हिन्दी विभाग		3. हिन्दी विभाग
4. वाणिज्य तथा प्रबन्धन विभाग		4. वाणिज्य तथा प्रबन्धन विभाग
5. जनसंचार तथा पत्रकारिता विभाग		5. जनसंचार तथा पत्रकारिता विभाग
6. शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग		6. शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग
		7. अनुवाद विभाग

5—339 GI/2007

7. अनुवाद विभाग		8. महिला अध्ययन विभाग
8. महिला अध्ययन विभाग		9. दूर शिक्षा विभाग
9. दूर शिक्षा विभाग		10. राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन विभाग
10. राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन विभाग		11. समाजशास्त्र तथा समाज कार्य विभाग
11. समाजशास्त्र तथा समाजकार्य विभाग		12. कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना तकनीकी विभाग
12. कम्प्यूटर विज्ञान तथा सूचना तकनीकी विभाग		<u>निदेशालय</u>
<u>निदेशालय</u>		1. महिला अध्ययन निदेशालय
1. महिला शिक्षा निदेशालय		2. दूर शिक्षा निदेशालय
2. दूर शिक्षा निदेशालय		<u>क्षेत्रीय केन्द्र</u>
<u>क्षेत्रीय केन्द्र</u>		1. दिल्ली क्षेत्रीय केन्द्र
1. दिल्ली क्षेत्रीय केन्द्र		2. पटना क्षेत्रीय केन्द्र
2. पटना क्षेत्रीय केन्द्र		3. बैंगलोर क्षेत्रीय केन्द्र
3. बैंगलोर क्षेत्रीय केन्द्र		4. भोपाल क्षेत्रीय केन्द्र
4. भोपाल क्षेत्रीय केन्द्र		5. दरभंगा क्षेत्रीय केन्द्र
5. दरभंगा क्षेत्रीय केन्द्र		6. श्रीनगर क्षेत्रीय केन्द्र
6. श्रीनगर क्षेत्रीय केन्द्र		7. मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र
7. मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र		8. कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र
8. कोलकाता क्षेत्रीय केन्द्र		9. रांची क्षेत्रीय केन्द्र (झारखण्ड)

रजिस्ट्रार
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
गाचीबॉवली, हैदराबाद

CANARA BANK

Bangalore, the 25th September 2007

No PWPM:10475:078:VRR:- In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1 (1) These Regulations may be called Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2007,

(2) These Regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 In the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979, in Regulation 5,-

(a) in sub regulation (1), under clause (c), after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided further that such increment/s in the next higher scale / stagnation increment/s shall not be allowed to an Officer who refuses promotion when offered"

(b) in sub regulation (2), in clause (d) of the Explanation after Note (ii), the following Note shall be inserted, namely:

"(iii) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept promotion when offered"

N S SRINATH
GENERAL MANAGER

Note: The amendments to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, as per details given below:

SL NO	NOTIFICATION NO	DATED
1	15	09.04.1988
2	15	14.04.1990
3	42	19.10.1996
4	49	07.12.2002

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st October 2007

No.A-28/11/6/96-E.VI(SZ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of the section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, the following regulations, namely:-

T.A., D.A. AND TRANSPORT ALLOWANCE REGULATIONS – 2006 of ESIC.

1. Short Title and Commencement – (1) these regulations may be called "T.A., D.A. and Transport Allowance Regulations – 2006 of the Employees' State Insurance Corporation."

These regulations shall come into force w.e.f. 01.10.2007.

2. DEFINITIONS – In the regulations, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Corporation" means the Employees' State Insurance Corporation established under the Act;

(d) "Director General" means the Director General of the Corporation;

(e) "Employee" means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Corporation;

(f) "Month" means a calendar month;

(g) "Service" means a service under the Corporation;

(h) "Standing Committee" means the Standing Committee of the Corporation;

(i) All the other words and expressions used hereinafter but not defined herein shall have the meaning assigned to them in

the relevant rules applicable to the corresponding classes of Central Government Servants.

3. For the purposes of daily allowance while on tour, transfer and eligibility of conveyance for journey while on tour, the classification will be decided by the scale of pay of the post actually being held by the official concerned. The scales of pay of officers and staff shall be as may be decided by the S.C./ ESIC from time to time.

4. A. REIMBURSEMENT OF LODGING CHARGES:-

The reimbursement of lodging charges for hotel rooms while on tour shall be as follows:-

Sl. No.	Category of Officers	Lodging Charges admissible on tour per day on actual basis	
		Stations classified as A-1, A, B-1, B-2 for the purpose of HRA by the Govt. of India. (In Rs.) (A)	All Other Cities (In Rs.) (B)
1.	Director General	ITDC Hotel Rates in Hotel Ashoka, Delhi or actual expenditure in any hotel not exceeding Rs. 9000/-	Actual Expenditure
2.	**Principal Officers of Corporation namely:** FC/IC/MC	Rs. 6300/-	Rs. 4400/-
3.	Additional Commissioner & other SAG level officers Rs. 18400-22400, Rs. 16400-20000 & Rs. 14300-18300	Rs. 4400/-	Rs. 3200/-
4.	Regional Director/ Jt. Director. & Officers in the equivalent scale Rs. 12000-16500, Rs. 10000 -15200	Rs. 3200/-	Rs. 2200/-
5.	Dy. Director/Assistant Director Rs. 8000-13500, Rs. 6500-10500	Rs. 2200/-	Rs. 1600/-

ii). Claims for lodging charges shall be supported by vouchers. No claim will be entertained without supporting vouchers.

State/Central/Expenditure/Luxury Taxes etc., if paid, by the officers shall be reimbursed in full, in addition to revised room rent on tour, as mentioned above.

iii). The Corporation shall endeavour to have a centralized tie up arrangement with one or more suitable agency(ies) for reservation of hotel accommodation for officers at various levels across the country on competitive rates to keep the expenditure barest minimum.

iv) If there were any increase in the hotel tariff at any station subsequently, Director General, ESIC may, in individual cases, permit expenditure more than the prescribed monetary limits.

B- DAILY ALLOWANCE PAYABLE TO THE OFFICERS OF ESI CORPORATION

Sl. No.	Category of Officers	Stations classified as A-1,A, B-1 & B-2 for the purpose of HRA by the Govt. of India. (In Rs.) (A)	All other Cities (In Rs.) (B)
1.	Director General	375	325
2.	Principal Officers of Corporation namely: FC/IC/MC/	350	315
3.	Offices in the Pay Scale of Rs.18400-22400, Rs.16400-20000 & Rs.14300-18300	315	225
4.	Officers in the Pay Scale of Rs.12000-16500 & Rs.10000-15200	260	225
5.	Officers in the Pay Scale of Rs. 8000-13500 & Rs.6500-10500	225	175

C- DAILY ALLOWANCE TO GROUP-C & GROUP-D EMPLOYEES FOR BOARDING AND LODGING CHARGES WHILE ON TOUR

Sl. No.	Category of Officers	Daily Allowance	
		Stations classified as A-1,A, B-1 & B-2 for the purpose of HRA by the Govt. of India. (In Rs.)	All other Cities (In Rs.)
1.	Insurance Inspector/Mgr. Gr.II/Superintendent & Officers in the same Scale.	210	160
2.	All other Gr. C Officials	150	130
3.	All Gr. D Officials	100	75

D- COMPOSITE DAILY ALLOWANCE TO THE CATEGORY GROUP-C & GROUP –D EMPLOYEES OF ESI CORPORATION (INCLUSIVE OF HOTEL ACCOMMODATION).

Sl. No.	Category of Officers	Daily Allowance	
		Stations classified as A-1,A, B-1 & B-2 for the purpose of HRA by the Govt. of India. (In Rs.)	All other Cities (In Rs.)
1.	Insurance Inspector & equivalent	450	360
2.	All other Gr. C Officials	330	260
3.	All Gr. D Officials	215	160

E. USE OF OWN CAR/TAXI FOR TOUR FROM PLACE OF POSTING.

The rates of road allowance may be fixed on the basis of prevailing rates in metropolitan cities of a particular state and if no rate has been fixed then the rates of the neighbouring state may be adopted.

However, where no such rate has been prescribed, the following rate of road allowance may be fixed subject to the other conditions governing the grant of road mileage allowance and regulation of TA claims as per the orders issued on the subject from time to time subject to entitlement under the provisions of SR-46. Performance of journey by own car shall be only with the prior approval of the Competent Authority i.e. F.C./ I.C./ M.C.

1. For journeys performed by own car/Taxi: @ Rs. 10/- per K.M.
2. For journeys performed by Auto rickshaw/scooter: @ Rs. 5/- per K.M.

F. Transportation of personal effects on transfer

The transportation expenses in inter regional transfer cases shall include actual cost of transporting the employees with personal luggage and conveyance and shall also include charges for packing, insurance, loading and unloading as well as statutory levies imposed on such luggage and conveyance during transit. In case of inter regional transfer ordered in public interest; the officers may at their discretion transport their personal goods/vehicle by the movers/packers authorized by the Corporation or by Rail Transport.

The Movers and Packers for transporting personal effects, of the official transferred, shall be appointed by the office after following the normal purchase procedure under GFR. The authorized Movers and Packers shall be appointed on Regional basis and shall be responsible for packing, loading, moving, unloading and delivering the goods at the destination. They shall raise the bill for the service rendered to the respective office of the Corporation.

The restrictions of weights etc. will continue to be governed as per provision of SR, as amended from time to time.

5. All other matters relating to the TA/DA, not specifically mentioned here in above; shall continue to be governed by the Govt. of India Rules and Orders till such time as separate regulations are brought into effect by the Corporation.
6. If any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these Regulations, the matter shall be referred to the Director General or such other authority as may be specified by the Director General by a general or special order, and the orders of the Director General shall be final.

PRABHAT C. CHATURVEDI
Director General

New Delhi, The 2nd November 2007

No. A-12(11)-1/2005-Estt. I - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2 A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1995, in so far as they relate to the post of Junior Hindi Translator except respects the things done or as omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Regulations regulating the method of Recruitment to the post of Junior Hindi Translator in the Employees' State Insurance Corporation, namely :-

1. Short title and commencement: -

(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Junior Hindi Translator) Recruitment Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay: - The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. The method of recruitment, age limit, qualification, etc.: - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Regulations.

5. Power to relax: - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters : - Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and instructions laid down in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965, applicable to the corresponding category of posts in the Corporation, shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these Regulations.

7. Savings : - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

Schedule

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Hindi Translator	54* (2007) *Subject to variation dependent on work load	Group 'C' Ministerial	Rupees 5500-175-9000/-	Not applicable	No	Not exceeding 28 years (Relaxable in the case of ESIC employees and government servants as per rules and orders) ##	Master's degree of a recognised University in English/Hindi with Hindi/English as a compulsory and elective subject at degree level OR Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects (which includes the term compulsory and elective).

##

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a DPC exist, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation 1. Additional Commissioner (P&A), ESIC- Chairman 2. An officer in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- from ESI Corporation -Member	Not applicable

F. No. A-12/11/2005-E.I.

PRABHAT C. CHATURVEDI
Director General

New Delhi, the 19th October 2007

No.U-16/53/2002/Med.II/(Guj): - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Gujrat for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	Period	Name of Centre
Dr. J.M.DOSHI	29.10.2007 to 28.10.2008	DARIAPUR

(Dr.) KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 5th November 2007

No.U-16/53/2000-Med.II/(M.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year from the date of joining or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below for area to be allocated by State Medical Commissioner, Indore for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	Period	Name of Centre
Dr. Kamlesh Jain	16.10.2007 To 15.10.2008	Gwalior

(Dr.) KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 14th November 2007

No. N-15/13/1/5/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the areas falling within the Municipal limits of Jammalamadugu and Revenue Villages of Moragudi of Jammalamadugu Mandal of Kadapa District in Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/1/3/2007-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95–A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 2007 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95–A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"The areas falling within the revenue villages of Mambattu, Graddagunta, Andagundala and Konduru in Tada (Mandal) and Kotapoluru in Sullurpet (Mandal) of Nellore District."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

8—339 GI/2007

TRUSTEE, FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 25th October 2007

No. CPF. V/21 (3)/2005.—In accordance with the Provision contained in Regulation 5 of the Food Corporation of India Contributory Provident Fund Regulations, 1967, the Chairman cum Managing Director pleased to nominate the following representatives to the Board of Trustees to administer the Corporation's Contributory Provident Fund for a period of two years with effect from the date of notification:—

Sl. No.	Name & Designation	Office where working
	S/Shri/Smt.	
1.	J. S. Tuli, AGM (Engg.)	FCI. Hqrs, New Delhi
2.	N. Soundararajan, Manager (QC)	FCI, RO, Chennai
3.	R. S. Naik, Manager (Depot)	FCI, ZO (West), Mumbai
4.	R. K. Nayyar, Manager (A/cs)	FCI, ZO (North), Noida
5.	Vinod Kumar Verma, Manager (D)	FCI, Hqrs, New Delhi
6.	R. N. Das, Asstt. Secretary	FCI, Workers Union, 58/1, Dimond Harbour Road, Kolkata.
7.	P. K. Nayak, Organisation Secy.	FCI Workers Union, 8585, Arakasha Road, Paharganj, New Delhi-110055.
8.	Sharwan Paswan, Jt. Secy.	FCI (Handling) Working Union 8654, Arakasha Road, Paharganj, New Delhi-110055, FSD, (Narela) Delhi.

AMIT RUJ
Dy. Genl. Manager (CPF)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

New Delhi-110 016, the 12th November 2007

NOTICE

No. CWC/III-49/EDC-2007/B&C

In pursuance of rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the director duly elected on 31.10.2007 for a period of three years w.e.f. 31.10.2007 (A.N.) from the class of shareholders specified in clause (e) of the Sub-Section 1 of Section 7 of Warehousing Corporation Act, 1962 is notified as under:-

CLASS OF SHAREHOLDERS	NAME & ADDRESS OF THE ELECTED DIRECTOR
COOPERATIVE SOCIETIES	SHRI VIRENDRA SINGH THE WEST SUBARBAN GROCERS COOP. SOCIETY LTD., A-3, LIBERTY SHOPPING, 10-C HILL ROAD COMPLEX, BANDRA, MUMBAI – 400 050

A. V. JAWAKAR
Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

New Delhi-110 001, the 3rd August 2007

Vide letter No.F.27-12/2000-Desk(U),

has communicated approval to the framing of the following Ordinances

1. Establishment of Model Schools in Hyderabad and Darbhanga.

2. Establishment of Vocational Training Centres / Industrial Training Institutes at Hyderabad, Darbhanga and Bangalore.

In terms of Section 43 of Maulana Azad National Urdu University Act, 1996 (No.2 of 1997) these Ordinances are to be published in the Official Gazette and also to be laid before each house of the Parliament.

REGISTRAR
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, HYDERABAD - 500 032

ORDINANCE

ESTABLISHMENT OF MODEL SCHOOLS
[Act, 5 (xxviii), S. 27(k)]

In exercise of the powers vested under the section 5 (xxviii) & S. 27(k) of the University Act, 1996 (No.2 of 1997), this Ordinance is issued for the establishment of Model Schools.

Commencement: From date of notification by the University

Purpose of Ordinance:

The purpose of the Ordinance is to establish Model Schools of the University aimed at developing learner base for this University. They will serve as a base for promotion and dissemination of Urdu and to bring about the essential continuity in education. The Model Schools shall offer education from primary level to the junior college in Urdu medium. The University shall establish Model Schools in **Hyderabad** and **Dharbhanga** in first phase and in any other place in the country with the approval of the University Grants Commission.

The objectives of the Institute:

* Shall offer quality education in Urdu medium on the pattern of Novadaya / Kendriya Vidhayala and Central Board of Secondary Education Schools.

* The Schools shall serve as feeder channel for the University.

Fee: Fee structure shall be as per Kendriya Vidhalaya pattern with the approval of the Academic Council.

Reservation of seats: As per Government of India rules.

Admission procedure: As per Kendriya Vidhayala pattern with the approval of Academic council.

Start of the Session: Session starts from 12th June every year.

Syllabi: As per Central Board of Secondary Education Govt. of India.

Examination: Seventh class onwards Central Board of Secondary Education Govt. of India shall conduct the examination annually.

ORDINANCE

ESTABLISHMENT OF VOCATIONAL TRAINING CENTRES (INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES)
[Act, S. 27(k)]

In exercise of the powers vested under the Section 27(k) of the University Act, 1996 (No.2 of 1997) this ordinance is issued for the establishment of Vocational Training Centers/ Industrial Training Institutes.

Commencement: From date of notification by the University

Purpose of Ordinance:

The purpose of the Ordinance is to establish Vocational Training Centers / Industrial Training Institute to offer vocational courses aimed at providing training programmes in professional trades in Urdu medium. The trades with job potential and / or self-employability shall be offered. The institute shall be fully funded by the UGC / Govt. of India. Initially these institutes shall be establishing at **Hyderabad, Dharbhanga** and **Bangalore;** and in and other places, with the approval of the University Grants Commission.

The objectives of the Institute:

* To provide training in trades which have job potential.

* To help and guide the students in providing employment after completion of the training.

Duration of the Training Programme: The duration of the Training progrmmes, shall be as per National Council for Vocational Training (NCVT), Government of India norms.

Fee: No admission and tuition fee shall be charged. Caution money of Rs. 60/- per student shall be charged at the time of admissions.

Qualifications and admissions: The academic qualification prescribed for the trade varies from class VIII pass to Class XII pass depending upon the trades as per National Council for Vocational Training (NCVT) norms.

Age: The candidates of 14 - 40 years of age as on date of start of admission session are eligible for admission in these Institutes / Centers.

Age relaxation:

i. Relaxation of upper age limit upto 45 years in case of ex-servicemen is permissible.
ii. Relaxation of upper age limit upto 45 years permissible in case of war widows.
iii. Widows / separated women would be allowed to join various training programmes under C.T.S up to the age of 45 years.
iv. The upper age limit of physically handicapped candidates has been relaxed by 10 years and kept as 45 years on the date of start of admission session.

Reservation of seats: As per the National Council of Vocational Training (NCVT) norms.

Admission procedure: As per the norms of National Council of Vocational Training admission in ITI are to be made purely on merit based on the marks secured by the candidate in the public examination of the minimum qualification prescribed for the individual trade. Where ever there is no public examination at the minimum qualification level the merit may be made on the marks obtained by the candidate in the written examination conducted by the University.

Selection of candidates for admission in Industrial Training / Centers start well in advance of the commencement of each session. Admissions should be as far as possible, be completed by the date of starting of the session. Where it may be necessary to continue admission beyond the date of commencement of the session for filling vacant seats, it should not in any case go beyond one month of the date in the case of two-year trades and 15 days in case of one-year trades.

Start of Session: Training sessions in ITIs /VTCs may start from 1st August every year.

Syllabi: As per National Council for Vocational Training norms.

Examination: National Council for Vocational Training shall conduct exams annually or at the end of the session in one year courses. Mark sheet and certificates shall be issued by National Council for Vocational Training.

Vide letters mentioned against each has communicated the assent of the Visitor to the amendments of following Statutes of the University

Amendment to	MHRD Letter No. & Date
Statute No.23	F.27-5/2007-Desk (U), dated 12th June, 2007
Statute No.39	F.27-4/2005-Desk (U), dated 5th September, 2007

In terms of Section 43 of Maulana Azad National Urdu University Act, 1996 (No.2 of 1997) these Statutes are to be published in the Official Gazette and also to be laid before each house of the Parliament.

AMENDMENT TO STATUTE 23

Existing	Amendment suggested	After amendment reads as	Reason for Amendment
Terms and conditions of service and code of conduct of the teachers, etc. 23.(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Notifications of the UGC and as amended from time to time and also as specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations. (2) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances. (3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar. (4) The age of superannuation for all the teachers would be 62 years and thereafter no extension in the service would be given. However, it will be open to the University to re-employ a superannuated teacher up to the age of 65 years.	(4) The age of superannuation for all the persons who were holding teaching positions on regular employment against sanctioned post as on 15.03.2007 would be 65 years and thereafter no extension in the service would be given. However, it will be open to the University to re-employ a superannuated teacher up to the age of 70 years.	***Terms and conditions of service and code of conduct of the teachers, etc.*** 23.(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Notifications of the UGC and as amended from time to time and also as specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations. (2) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances. (3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar. (4) The age of superannuation for all the persons who were holding teaching positions on regular employment against sanctioned post as on 15.03.2007 would be 65 years and thereafter no extension in the service would be given. However, it will be open to the University to re-employ a superannuated teacher up to the age of 70 years.	In view of the decision taken by the Government of India and as communicated by the Ministry of Human Resource Development, through their letter No.1.19/2006-U-II, dt.23rd March 2007, the enhancement of age of superannuation from 62 years to 65 years in respect of teaching positions in the Centrally funded institutions of Higher and Technical Education.

Amendment to Statute 39

Existing	Amendment proposed	After amendment would read as
~~39.~~ The University shall have presently the following Schools, Departments, Directorates and Centres namely: **School of Studies:** 1. School of Languages, Linguistics & Indology 2. School of Commerce and Business Management 3. School of Journalism and the Mass Communication 4. School of Arts and Social Sciences 5. School of Sciences 6. School of Education and Training **Department of Studies:** 1. Department of Urdu, Persian & Arabic 2. Department of English 3. Department of Hindi 4. Department of Management & Commerce 5. Department of Mass Communication & Journalism 6. Department of Education and Training 7. Department of Translation 8. Department of Women Education 9. Department of Distance Education 10. Department of Political Science & Public Administration 11. Department of Sociology & Social Work 12. Department of Computer Science & Information Technology **Directorates:** 1. Directorate of Women Education 2. Directorate of Distance Education **~~Regional Centres:~~** 1. Regional Centre Delhi 2. Regional Centre Patna 3. Regional Centre Bangalore 4. Regional Centre Bhopal 5. Regional Centre Darbhanga 6. Regional Centre Srinagar 7. Regional Centre Mumbai 8. Regional Centre Kolkata	**39.** **Under Regional Centres** **Add** Regional Centre Ranchi (Jharkhand) at serial No.9	**39.** The University shall have presently the following Schools, Departments, Directorates and Centres namely: **School of Studies:** 1. School of Languages, Linguistics & Indology 2. School of Commerce and Business Management 3. School of Journalism and the Mass Communication 4. School of Arts and Social Sciences 5. School of Sciences 6. School of Education and Training **Department of Studies:** 1. Department of Urdu, Persian & Arabic 2. Department of English 3. Department of Hindi 4. Department of Management & Commerce 5. Department of Mass Communication & Journalism 6. Department of Education and Training 7. Department of Translation 8. Department of Women Education 9. Department of Distance Education 10. Department of Political Science & Public Administration 11. Department of Sociology & Social Work 12. Department of Computer Science & Information Technology **Directorates:** 1. Directorate of Women Education 2. Directorate of Distance Education **~~Regional Centres:~~** 1. Regional Centre Delhi 2. Regional Centre Patna 3. Regional Centre Bangalore 4. Regional Centre Bhopal 5. Regional Centre Darbhanga 6. Regional Centre Srinagar 7. Regional Centre Mumbai 8. Regional Centre Kolkata 9. Regional Centre Ranchi (Jharkhand)

REGISTRAR
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007